महत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्या-58/2024/1107/12-5-2024/1803641/12-5/39/2023

प्रेषक,

विनोद कुमार सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊः दिनांकः 05 अक्टूबर , 2024**

विषय- एग्रीस्टैक योजना के अंतर्गत ई-खसरा पड़ताल हेतु समय विस्तारित करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-55/2024/891/2024/12-5-39/2023 दिनांक 10 सितम्बर 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा खरीफ-2024 से एग्रीस्टैक योजना के अंतर्गत ई-खसरा पड़ताल के संपादन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत करते हुये खरीफ-2024 में दिनांक 20 अगस्त, 2024 से प्रदेश के समस्त जनपदों में ई-खसरा पड़ताल का कार्य प्रारंभ कर निर्धारित 45 दिन में पूर्ण कराकर 05 अक्टूबर, 2024 तक संपन्न कराये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 04 अक्टूबर तक प्राप्त सूचनानुसार प्रदेश के जनपदों में ई-खसरा पड़ताल का कार्य पूर्ण नहीं कराया जा सका है एवं अभी भी कार्य अवशेष है। अत: सम्यक विचारोपरान्त खरीफ 2024 मौसम में ई-खसरा पड़ताल के कार्य हेतु 15 दिनों की समयावधि (दिनांक 20.10.2024 तक) आगे बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कृपया दिनांक 20.10.2024 तक खरीफ 2024 मौसम में ई-खसरा पड़ताल का कार्य अनिवार्यत: पूर्ण कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
विनोद कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, कृषि, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

3. कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन।

4.अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व / कृषि / वित्त / नियोजन / आईटी एवं इलेक्ट्रानिक / पंचायती राज / चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास / उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

5. आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

6. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन।

7. आयुक्त, गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

8. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

9. निदेशक कृषि, उद्यान, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, सूचना विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ।

10. एस०आई०ओ० एनआईसी लखनऊ।

11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।